संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, 1948 ई0

(सन् 1948 का ऐक्ट नं0 28)

1.संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरम्भ
2.परिभाषायें
3.मुख्य प्रबन्धक और नियन्त्रण करने वाला अधिकारी
4.ऋणो की सीमा
5.ऋणों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही
6.ऋण चुकता करने के लिये ज़मानत
7.ऋण का किस प्रकार भुगतान किया जायगा
8.निरीक्षण तथा सूचना को पहुंचाना
9.धारा 8 के अधीन दिये हुये आदेश का उल्लंघन
10.ऋण का उचित उपयोग न करने पर दंड
11.अपील
12.वसूली का ढंग
13.ऋण का स्थगित किया जाना
14.दीवानी मुकद्दमें चलाने पर रोक
15. अदालती कार्यवाही से बरी होना
16. नियम बनाने के अधिकार

संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, 1948 ई0

(सन् 1948 का ऐक्ट नं0 28)

THE UNITED PROVINCES REFUGEES REHABILITATION (LOANS) ACT, 1948

(U.P. Act No. XXVIII of 1948)

संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, 1948 ई०[1]

[सन् 1948 का ऐक्ट नं० 28]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1951

द्वारा संशोधित

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 30 अप्रैल, 1948 ई० तथा 7 मई, 1948 ई० की स्वीकृत किया ।

14 जून, 1948 ई० को गवर्नर जनरल ने भारत–शासन–विधान, 1935 ई० को, ऐसा कि वह भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश, 1947 ई० द्वारा नियमानुकूल बनाया गया है, धारा 76 के अधीन निम्नलिखित ऐक्ट की स्वीकृति प्रदान की और वह सर्वसाधारण सूचनार्थ युक्त प्रान्तीय असाधारण गज़ट में 16 जून सन् 1948 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

शरणार्थियों को फिर से बसाने के सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार द्वारा ऋण–रूप में धन देने की व्यवस्था करने के लिये

एक

ऐक्ट

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि शरणार्थियों को फिर बसाने के सम्बन्ध में ऋण–रूप में धन देने तथा उसे उगाहने के लिए आदेश बनाये जायं, इसलिये नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है :––

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरम्भ

1–(1) यह ऐक्ट "युक्त प्रांत का शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, 1948 ई०" कहलायेगा।

(2) यह सारे युक्त प्रान्त में लागू होगा।

(3) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होंगा।

परिभाषाये

2–इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या संदर्भ विपरीत न हो,––

(क) "ऋण लेने वाले" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी कम्पनी या ऐसे एसोसिएशन या व्यक्तियों की ऐसी संस्था

(2) "सार्वजनिक प्रयोजन" के अन्तर्गत निम्नलिखित या उनसे सम्बन्धित कोई भी उद्देश्य होंगे :––

(क) सिंचाई के लिये तालाब बनाना, बढ़ाना या उन्हें गहरा करना, से है, भले ही वह प्रमाणित हो या न हो, जिसे इस ऐक्ट अन्तर्गत कोई ऋण दिया गया हो ।

(ख) "कम्पनी" से तात्पर्य किसी ऐसी कम्पनी से है जिसकी परिभाषा भारतीय कम्पनियां के ऐक्ट, 1913 ई० (Indian Companies Act, 1913) मे कर दी गई है ।

(ग) "नियन्त्रण अधिकारी (कन्ट्रोलिंग अथारिटी)" से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है और उसमें कोई ऐसा अधिकार सम्मिलित है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के अधीन ऋण देने का अधिकार दिया हो ।

(घ) "मुख्य प्रबन्धक (चीफ एडमिनिस्ट्रेटर)" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय शरणार्थी कमिश्नर से है और किसी ऐसे अफसर से भी है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस

---

1. उद्देश्यों और कारणों हेतु संयुक्त प्रान्तीय असाधारण गजट दिनांकित 16 जून, 1948 देखें ।

एक के अधीन मुख्य प्रबन्धक (चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर) के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया हो ।

(ङ) "उद्योग–धन्धे में लगे हुये व्यक्ति" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो मालिक या काम करने वाले की तरह, पूर्व समय के लिए या थोड़ें समय के लिए, किसी ऐसे औद्योगिक व्यापार या साहसपूर्ण व्यापार या कारखाने में काम पर लगा हो या लगना चाहता हो जिसका संचालन कोई व्यक्ति या कम्पनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों की संस्था, भले वह प्रमाणित हो या न हो, करती हो ।

(च) "निर्धारण" से तात्पर्य ऐसे नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है जो इस ऐक्ट के अधीन बनाये जाये, और

(छ) "शरणार्थी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो उस प्रदेशों से हटाया गया हो जो अब पाकिस्तान में सम्मिलित हैं तथा जो इस समय युक्त प्रान्त में रहता हो और जो फरवरी, 1948 ई० के पहिले या ऐसी बढ़ाई हुई तारीख पहले, जिसे प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में प्रकाशित करे, युक्त प्रान्तीय शरणार्थियों को रजिस्ट्री ऐक्ट, 1948 ई० (United Provinces Refugees Registration Act, 1948) की धारा 4 के अनुसार रजिस्टर किया गया हो ।

(ज) "प्रान्तीय सरकार" से तात्पर्य युक्त प्रान्तीय सरकार से है ।

मुख्य प्रबन्धक और नियन्त्रण करने वाला अधिकारी

3–(1) शरणार्थियों की फिर से बसाने के लिये उनको ऋण देने के प्रयोजन से प्रान्तीय सरकार प्रान्त के लिये एक मुख्य प्रबन्धक् (Chief Administrator) नियुक्त कर सकती है और ऐसे क्षेत्रों के नियन्त्रण अधिकारी जो निर्धारित किये जाये और सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा उस काम का वितरण या निर्धारण किये जाने की व्यवथा कर सकती है जो उनको इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये हुये नियमों के अन्तर्गत करना हो ।

(2) मुख्य प्रबन्धक को आमतौर पर इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए, नियंत्रण अधिकारी के ऊपर निगरानी, संचालन और नियंत्रण के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।

(3) जिले का मुख्य प्रबन्धक या कलेक्टर प्रांतीय सरकार की स्वीकृति से अपने किसी कार्य का प्रांतीय सरकार के किसी पदाधिकारी को उसके नाम या पद से सौंप सकता है ।

ऋणों की सीमा

4–केवल उस दशा के, जबकि प्रांतीय सरकार से पहिले से स्वीकृति ले ली गयी हों, इस ऐक्ट के अधीन किसी शरणार्थी को 5,000 रू0 से अधिक ऋण न दिया जायगा ।

ऋणों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

5–(1) कोई शरणार्थी उस नियन्त्रण अधिकारी को जिसके अधिकार–क्षेत्र की स्थानीय सीमा में वह रहता हो या अपना कारबार या धन्धा करने का विचार रखता हो, नियत फार्म में प्रार्थना–पत्र दे सकता है, जिसके साथ उसको अपना हलफनामा लिखना पड़ेगा, जिसमें मांगी गई ऋण की धनराशि, प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया जा रहा हो, और यदि ऋण दे दिया जाय तो वह विधि जिसके अनुसार वह ऋण का भुगतान (repay) करेगा, दी हुई होंगी ।

(2) नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) मुख्य प्रबन्धक के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन उस ढंग से और उस सीमा तक ऋण देगा जैसा कि निर्धारित किया जाये।

(3) नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) को यह अधिकार होगा कि वह जब कोई ऋण देने लगे उन शर्तों को निश्चित करे जिन शर्तों पर ऋण दिया जायेगा और उन किस्तों को निश्चित करे जिनके द्वारा वह ऋण चुकता किया जायेगा।

ऋण चुकता करने के लिये ज़मानत

6–(1) ऋण के लिए प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जाने के उपरान्त जितनी जल्दी हो सके, प्रार्थी और यदि प्रार्थी कोई फर्म या कम्पनी हो, तो उनका नियमानुसार अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित कार्य में एक तमस्सुक (bond) लिखेगा जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करेगा कि जो ऋणा उधार दिया गया है उसे वह उसी प्रयोजन या प्रयोजनों और उन शर्तों का पालन करने के लिए ही लगायेगा जिनके लिये या जिन पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है ।

(2) इस ऐक्ट के अधीन लिये गये किसी ऋण के लिए प्रार्थी यदि नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) ऐसा आदेश दे, दो ज़मानते देगा और प्रार्थी तथा प्रतिभू संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से ब्याज और उस खर्च के साथ यदि कोई हो, जो ऋण देने या उसे वसूल करने में हुआ हों, ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) कोई ऐसा स्थिर यन्त्र या मशीन, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति उस धन से जो उसे ऋण के रूप में पेशगी दिया गया हो, खरीदे, उस समय तक प्रान्तीय सरकार के अधिकार में रहेगी जब तक कि ऋण की पूरी–पूरी धनराशि का भुगतान नहीं हो जता और उसके सम्बन्ध में ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी, स्वत्व अथवा हित का हस्तान्तरण अथवा समर्पण या उस पर ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया बन्धक या कोई अन्य भार जब तक कि ऐसा नियन्त्रण आधकारी की पहिले से लिखित अनुमति लेकर न किया गया हो, प्रान्तीय सरकार के विरूद्ध निष्फल होगा ।

(4) भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, 1899 ई० (Indian Stamp Act, 1899) में किसी बात के होते हुए भी इस ऐक्ट के आदेशों के अधीन लिखे गये किसी बांड या दाखिल किये हुए शपथ–पत्र पर कोई स्टाम्प का महसूल न किया जायगा ।

ऋण का किस प्रकार भुगतान किया जायगा

7–ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गये किसी बांड में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, ब्याज के सहित, यदि कोई हो, ऋण का वार्षिक किस्तों में, जैसा कि निर्धारित किया जाय, भुगतान किया जायगा और किस्तों का भुगतान ऋण के बांटने की तारीख के बारह मास या नियंत्रण अधिकारी की अनुमति से अधिक समय के पश्चात् प्रारम्भ होगा ।

निरीक्षण तथा सूचना को पहुंचाना

8–ऋण लेने वाला व्यक्ति (क) नियन्त्रण अधिकारी के किसी सामान्य तथा विशिष्ट आदेश का, जो उन अहातो, भवनों, मशीनों तथा भण्डार (स्टाक) के निरीक्षण के सम्बन्ध में हों, जिन्हें उसने अग्रिम ऋण की सहायता से खरीदा हो या किराये पर लिया हो, पालन करने के लिए, और

(ख) उक्त अधिकारी को कोई भी ऐसी सूचना देने के लिए, जो वह उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, जिसके लिये ऋण दिया गया था तथा उस ढंग के सम्बन्ध में, जिसके आधार पर ऋ़ण का उपयोग हुआ है, अथवा किया जा रहा है, जानना चाहे, बाध्य होगा ।

धारा 8 के अधीन दिये हुये आदेश का उल्लंघन

9–यदि ऋणी धारा 8 के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) उस आवेदन–पत्र पर विचार करने के पश्चात् जो ऋणी 15 दिन के अवधि के भीतर दे, यह आज्ञा दे सकता है कि ऋण या उसका कोई ऐसा भाग जो वह उचित समझे, धारा 12 में बतायी हुई विधि से तुरन्त वसूल कर लिया जाय और ऐसी आज्ञा को एक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेज दी जायगी ।

ऋण का उचित उपयोग न करने पर दंड

10–यदि नियंन्त्रण अधिकारी को, ऐसी जांच–पड़ताल करने के बाद जिसके लिए धारा 9 में आदेश बनाये गये हों, या किसी अन्य प्रकार से, यह सन्तोष हो जाय कि जो धनराशि कर्ज दी गई थी, वह उस प्रयोजन या उन प्रयोजनो के लिए प्रयोग नहीं की जा रही हैं या उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है जिन पर ऋण दिया गया था तो उपर्युक्त नियन्त्रण अधिकारी किसी ऐसी बात के होते हुए भी जो उस लेख–पत्र (Document) में दी हुई हो, उसे कर्ज लेने वाले ने लेखबद्ध (execute) किया हो, आज्ञा दे कर, यह आदेश दे सकता है कि ऋण या उसका कोई ऐसा भाग जो वह उचित समझे, तुरन्त वसूल किया जा सकता है और ऐसी आज्ञा की एक प्रतिलिपि ऋण लेने वाले के पास भेज दी जायगी ।

अपील

11–धारा 9 या 10 के अधीन दी गई आज्ञा के पाने के 30 दिन के भीतर ऋणी प्रान्तीय सरकार के पास अपील कर सकता और उस पर प्रान्तीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

वसूली का ढंग

12–(1) जब कोई ऋण की रकम या उसकी कोई किस्त या सूद की रकम देय हो जाय और उस तारीख पर या उससे पूर्व अदा न की गई हो जिस पर कि उसे अदा हो जाना चाहिये था या जबकि कोई ऋण की रकम धारा 10 के अधीन दुबारा देय घोषित कर दी गयी हो तो नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Authority) एक नोटिस के द्वारा ऋणी को यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस नोटिस में निश्चित अवधि के भीतर देय धनराशियों का भुगतान कर दे।

(2) ऐसा न करने की दशा में, इस ऐक्ट के अधीन प्रान्तीय सरकार को देय समस्त बकाये की रकमें, जिसमे उन पर ब्याज तथा खर्चे की वह रकमें भी, यदि कोई हों, सम्मिलित है, जो उनके सम्बन्ध में की गयी हों, भू–आगम (Land Revenue) के बकाये के रूप में वसूल की जायेंगी ।

ऋण का स्थगित किया जाना

13–भले ही इस ऐक्ट में कोई बात दी हुई हो, प्रान्तीय सरकार या तो स्वयं अपने आप अथवा नियन्त्रण अधिकारी (कन्ट्रोलिंग अथारिटी) अथवा मुख्य प्रबन्धक (चीफ एडमिनिस्ट्रेटर) की सिफारिश पर किसी ऋण अथवा उसको किस्त की वसूली को स्थगित कर सकती है अथवा उसे बट्टे खाते मे डाल सकती है ।

दीवानी मुकद्दमें चलाने पर रोक

14–इस सम्बन्ध में कि इस ऐक्ट की शर्तें पूरी की गयी हैं अथवा नहीं, प्रान्तीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा और इसके अधीन दी गयी किसी आज्ञा को रद्द कराने तथा संशोधित कराने के उद्देश्य से कि दीवानी न्यायालय में कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जायेगा और न तो उस पर किसी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही में आपत्ति की जायेगी ।

अदालती कार्यवाही से बरी होना

15–किसी भी सरकारी अफसर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी के विरूद्ध जिसे इस ऐक्ट के अधीन अधिकार प्रदान किये गये हों, किसी ऐसे कार्य के लिए, जो इसके अधीन नेक नियती से किया गया हो, अथवा किया जाने वाला रहा हो, न कोई मुकद्दमा चलाया जा सकेगा न कोई नालिश की जा सकेगी और न कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी ।

नियम बनाने के अधिकार

16–(1) प्रान्तीय सरकार इसके किसी या सभी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसे नियम बना सकती है, जो इस ऐक्ट के अनुकूल हो ।

(2) प्रान्तीय सरकार विशेषतया अथवा पूर्वोक्त अधिकार की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे लिखे किसी एक अथवा सभी विषयों को नियमित करने अथवा उन पर निर्णय करने के लिये नियम बना सकती है :—

(क) शरणार्थियों का वर्ग निर्धारित करने के लिए जिसके सम्बन्ध में ऋणों की एक विशेष योजना लागू होगी;

(ख) ऐसे उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए जिसके लिए ऋण दिये जायेंगे ;

(ग) ऋण सम्बन्धी दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र और लिखे जाने वाले ऋण–पत्र के फार्म निर्धारित कर लिये ;

(घ) इस ऐक्ट के अधीन ऋण देने के लिए अधिकार–प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति निर्धारित करने के लिए ;

(ङ) ऐसे सिद्धान्तों को निर्धारित करने के लिए, जिनके अनुसार ऋण दिया जायेगा और ब्याज लिया जायगा [1][xxxx];

(च) ऋणों के उचित उपयोग की जांच के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के लिए;

(छ) ऋणों की वसूली और किस्तों को नियत करने की विधि निर्धारित करने के लिए ;

(ज) नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली नोटिसों और घोषणाओं के फार्म निर्धारित करने के लिए ;

(झ) किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने के लिए जो इस ऐक्ट के अधीन निर्धारित किया जाने वाला हो या निर्धारित किया जा सकता हो ;

(ञ) उन विषयों को निर्धारित करने के लिए, जिनके लिए इस ऐक्ट में व्यवस्था नहीं की गयी है या अपर्याप्त व्यवस्था की गयी है और जिनके लिए प्रान्तीय सरकार की राय में व्यवस्था करना आवश्यक है ।

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 33, 1951 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।